

सेवा में

वरीय पुलिस अधीक्षक राँची / जमशेदपुर एवं धनबाद।
राँची पुलिस अधीक्षक, प्रारखण्ड।

विषय:- कोपी राईट एक्ट के अनुपालन के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निर्देश दिया जाता है कि आधुनिक तकनीकी के माध्यम से ऑनलाईन ऑडियो/विडियो कैंसेट एवं सीडीज की पायरेसी बड़े पैमाने पर की जा रही है। पायरेसी करने वालों के द्वारा म्यूजिक एलबम एवं विडियो को कम्प्यूटर की मदद से मेमोरी कार्ड, मल्टीमिडिया कार्ड्स, आईफोन इत्यादि में डाउनलोड करके बेची जा रही है। पायरेसी की धारा 51 सम्पत्ति धारा 63 के अन्तर्गत मेमोरी कार्ड में भी डाउनलोड करना संश्लेष एवं अज्ञानमयी अपराध है। धारा 52-ए में दी गई आक्रामक व्यवस्था का उल्लंघन होने पर धारा 68-ए के अन्तर्गत संश्लेष व अज्ञानमयी अपराध है। कॉपीराईट एक्ट की कार्यवाही के दौरान इन म्यूजिक विडियो प्लेयर के कम्प्यूटर उपकरणों में, मेमोरी कार्ड्स में अश्लील सामग्री पाये जाने पर संबंधित धाराओं का भी प्रयोग किया जाय। पायरेसी के कारण न केवल कॉपीराईट धारक को राजस्व की क्षति हो रही है बल्कि राज्य सरकार को भी राजस्व की क्षति हो रही है।

उपरोक्त के संदर्भ में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि म्यूजिक पायरेसी विशेषकर ऑनलाईन जयवा मेमोरी कार्ड्स से कम्प्यूटर उपकरणों की सहायता से कॉपीराईट अधिनियम का उल्लंघन होने वाले अपराध की रोकथाम के लिये प्रभावी कार्यवाई करते हुये कृत कार्यवाई से अधोहरस्तक्षरी के कार्यों को भी अवनत करना सुनिश्चित करेंगे।

(आर0के0 मल्लिक)

अपर पुलिस महानिदेशक, अभियान
प्रारखण्ड, राँची।

प्रतिलिपि:-

1. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, प्रारखण्ड, को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

अपर पुलिस महानिरीक्षक, अभियान
प्रारखण्ड, राँची।